परियोजना का नाम–जनपद अल्मोडा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में द्वारसों–काकड़ीघाट मोटर मार्ग के किमी0 2.00 से सुनियाकोट–कोटली तक मोटर मार्ग का निर्माण।
लम्बाई–4.00 है0

(5)

संलग्नक सं0–1.5

प्रारूप–11
प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मॉग का पूर्ण औचित्य

इस मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0–**1935 / III(2) / 15–03 –(मु0मं0घो0) / 2015, दिनांक 26 मार्च, 2015** के द्वारा 4.00 कि0मी0 की लम्बाई हेतु 32.93 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। प्रस्तावित मोटर मार्ग को द्वारसों–काकड़ीघाट मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से प्रारम्भ किया जाना था। किन्तु द्वारसों काकड़ीघाट से नौगॉव पनौरा मोटर मार्ग की स्वीकृति मिल जाने से वर्तमान में उक्त मार्ग को नौगॉव पनौरा मोटर मार्ग से प्रस्तावित किया गया है। इस मार्ग में वन पंचायत एवं सिविल बेनाप व नाप भूमि प्रभावित होती है। ग्राम–सुनियाकोट, कोटुली, सौनी में कोई भी मोटर मार्ग न होने के कारण यह मोटर मार्ग बनना प्रस्तावित किया गया है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय लोगों को अस्पताल, बाजार व स्थानीय उत्पादों को बाजार पहुॅचाने की सुविधा प्राप्त होगी। ग्राम– सुनियाकोट, कोटुली, सौनी में मोटर मार्ग न होने के कारण स्थानीय लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे है। इस प्रस्तावित मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय लोगों का पलायन रूकेगा। ग्राम– सुनियाकोट, कोटुली, सौनी में प्रस्तावित मोटर मार्ग के बनने से पर्यटन को बढावा मिलने की भी संभावना है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय लोग काफी लाभान्वित होंगे। अतः जनता की सुविधा, भूमि की उपलब्धता व तकनीकी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित मार्ग उपयुक्त है।

अमीन प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

(लक्ष्मण सिंह नेगी)
अनुभाग अधिकारी
अल्मोड़ा
वन क्षेत्र–कोसी

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

उप वनाधिकारी
सिविल वन क्षेत्र अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा